वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 06.12.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर ",अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, न्यायाधीश,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 06.12.2024

तीन अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई

वाराणसी। वीडीए ने बृहस्पतिवार को नगवां में तीन अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई। साथ ही एक अवैध निर्माण सील किया। वीडीए सचिव के निर्देश पर जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी ने कार्रवाई की। रमना के आदित्य सिंह ने तीन बीघे में अवैध प्लॉटिंग की थी। इसी प्रकार रमना में 8 बीघे में अवैध प्लॉटिंग कराई जा रही थी। रमना में मनोहर यादव ने 5 बीघे में अवैध प्लॉटिंग की थी। ब्यूरो

दैनिक जागरण–दि0 06.12.2024

16 बीघा अवैध प्लाटिंग पर गरजा बुलडोजर

वाराणसी : विकास प्राधिकरण सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा के निर्देश पर गुरुवार को अवैध निर्माण और जमीन की प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जोन चार के जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी ने बताया कि नगवां वार्ड के रमना में आदित्य सिंह तीन बीघा में, मनोहर यादव पांच बीघा और एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा आठ बीघा में अवैध तरीके से जमीन की प्लाटिंग की जा रही थी। बुलडोजर से अवैध बाउंड्री को तोड़ दिया गया। अवर अभियंता आरके सिंह ने बताया कि नगवां वार्ड के नरोत्तमपुर में अरविंद कुमार सिंह वीडीए से मानचित्र स्वीकृत कराए बगैर अवैध निर्माण कर रहे थे। (जासं)

हिन्दुस्तान–दि0 06.12.2024

नगवा में वीडीए ने ध्वस्त कराई अवैध प्लॉटिंग

वाराणसी। वीडीए की ओर से गुरुवार को नगवां वार्ड के नरोत्तमपुर में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये जा रहे निर्माण कार्य बंद कर दिया गया। पूरे परिसर को सील कर लंका थाने को निगरानी के लिए सौंप दिया गया। जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी और अवर अभियंता राकेश सिंह ने बताया कि जमीन मालिक को कई बार नोटिस दिया गया था। इसके बावजूद निर्माण कार्य चल रहा था।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 06.12.2024

अवैध प्लाटिंग पर चलाया बुलडोजर, निर्माण सील

वाराणसी (एसएनबी)। वीडीए जोन चार के क्षेत्रांतगर्त बृहस्पतिवार को तीन अवैध प्लाटिंग पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गयी। नगवां वार्ड थाना-लंका की पुलिस टीम की मौजूदगी में ध्वस्तिकरण की कार्यवाही की गयी। वीडीए ने जोन-चार में आदित्य सिंह, रमना, वार्ड- नगवां में लगभग तीन बीघा अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की। वहीं जोन चार में अज्ञात, पताः-रमना, वार्ड- नगवां में लगभग आठ बीघा अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। इसी प्रकार जोन चार में मनोहर यादव पुत्र शिवकुमार यादव एवं राजकुमार, पताः-रमना, वार्ड- नगवां में लगभग पांच बीघा अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। उधर, वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर नगवां वार्ड के अंतर्गत अरविंद कुमार सिंह द्वारा मौजा-नरोत्तमपुर, वृंदावन रेजीडेंसी के आगे में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये बिना निर्माण कर पिलर खड़ा करते हुए सरियों एवं सटिरंग का कार्य किये जाने पर नोटिस की कार्यवाही की गयी थी। निर्माणकर्ता की तरफ से वर्तमान में निर्माण कर बेसमेंट पर पिलर खड़े करने पर उक्त अनाधिकृत निर्माण को सील कर थाना लंका की निगरानी में सौंप दिया गया।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश–दि0 06.12.2024

वीडीए ने ध्वस्त किये अवैध प्लाटिंग

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-4, के क्षेत्रान्तगर्त 05.दिसम्बर को 03 अदद प्लाटिंग पर वार्ड- नगवॉ, थाना-लंका के प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वशातिकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी मौके पर जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी , अवर अभियंता राकेश सिंह तथा प्रवर्तन टीम उपस्थित रही ।अवैध प्लाटिंग ध्वस्तीकरण का विवरण निम्नवत हैः जोन-4 में आदित्य सिंह , पताः-रमना, वार्ड- नगवॉ वाराणसी में लगभग 03 बीघा अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी । जोन-4 में अज्ञात, पताः-रमना, वार्ड- नगवॉ वाराणसी में लगभग 08 बीघा अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।.जोन-4 में मनोहर यादव पुत्र शिवकुमार यादव एव राजकुमार, पताः-रमना, वार्ड- नगवॉ वाराणसी में लगभग 05 बीघा अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी ।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी ।

न्यायाधीश–दि0 06.12.2024

अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गई

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-4 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।इसके तहत 5.दिसम्बर को वार्ड- नगवॉ के अन्तर्गत अरविन्द कुमार सिंह द्वारा मौजा-नरोत्तमपुर, वृन्दावन रेजीडेंसी के आगे, जिला-वाराणसी में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये बिना लगभग 48`56 पर निर्माण कर पीलर

खड़े करते हुए सरियों एवं सटरिंग का कार्य किये जाने पर 30प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27, 28 (1) व 28 (ग) के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी, निर्माणकर्ता द्वारा वर्तमान में लगभग 48`56 में निर्माण कर बेसमेंट पर पीलर खड़े करने पर उक्त अनाधिकृत निर्माण को सील कर थाना -लंका की सतत निगरानी हेतु सौप दिया गया ।जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी , अवर अभियंता राकेश सिंह तथा प्रवर्तन टीम उपस्थित रही।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।